न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः— 09 / 16

दिनांकः—02.08.2019

तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

पुरूषोतम पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 24 रामगढ़ शेखावाटी।

.............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2016 को ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 / 195 / 1 / 1 रकबा 0.93 हैक्टेयर में अप्रार्थी पुरूषोतम खातेदार कृषक है। अप्रार्थी समस्त कृषि भूमि पर प्लाटिंग व 12 दुकानो का निर्माण कर रहा है। बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है कि वह कृषि भूमि की किस्म बदले व भूमि का आवासीय / वाणिज्यिक का अधिकार नही होते हुए भी अकृषि भूमि में तब्दील करें।

अप्रार्थी ने उक्त भूमि का अकृषि से आवासीय / वाणिज्यिक उपयोग / उपभोग अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कर लिया है।

तहसीलदार द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर, अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे व भूमि सिवायचक घोषित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस तहसीलदार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व जमाबंदी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3 / 195 / 1 / 1 रकबा 0.93 हैक्टेयर पर मौके पर प्लाटिंग व 12 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खातेदार द्वारा भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से कानून के खिलाफ कर लिया है। तहसीलदार ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर उक्त आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व आराजी को सिवायचक दर्ज करने की अपील की। उक्त भूमि अप्रार्थी द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 से होती है। अतः विवादित आराजी का कृषि के स्थान पर गैर कृषि उपयोग होना साबित है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि प्रार्थी तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम रूकनसर की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3/195/1/1 रकबा 0.93 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज किया जाकर कब्जेराज लिया जावे एवं उक्त आराजी से अप्रार्थी को बेदखल किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी,सीकर

Scanned by CamScanner